151

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 217–दो/2007 – विरूद्ध आदेश दिनांक 05–01–2007 – पारित व्दारा आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक 93/1998–99 निगरानी

1– नारायण सिंह 2– गनेश सिंह (मृतक)
(वारिस)
ट– सुरेश ब– रमेश स– महेश
पुत्रगण स्वर्गीय गनेश सिंह
2– जगदीश सिंह मृतक सहित तीनों
पुत्रगण रामकिशन सिंह निवासी ग्राम
चौम्हो तहसील अटेर जिला भिण्ड ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– ओमप्रकाश 2– रामसेवक
पुत्रगण हजारी सिंह निवासी ग्राम चौम्हो
तहसील अटेर जिला भिण्ड, मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री श्रीकृष्ण शर्मा)
(अनावेदक क्र–1 के अभिभाषक श्री वाई.एस.भदौरिया)

आ दे श

(आज दिनांक 19– 12–2016 को पारित)

यह निगरानी व्दारा आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 93/1998–99 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 5 जनवरी, 2007 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम चौम्हो की तालाब भूमि सर्वे नंबर 736 रकबा 0.397 हैक्टर की नोईयत अपर कलेक्टर

भिण्ड ने प्रकरण कमांक 7/1977-78 237 में पारित आदेश दिनांक 4-3-1987 से बदलकर काविलकास्त कर दी। इसी भूमि को तहसीलदार अटेर ने प्रकरण कमांक 541 अ-19/86-87 में पारित आदेश दिनांक 9 सितम्बर 1996 से आवेदकगण के नाम व्यवस्थापित कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी अटेर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 17/95-96 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-2-1997 से अपील अग्राह्य मानकर निरस्त कर दी गई। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत हुई । आयुक्त चंबल संभाग ने प्रकरण कमांक 93/1998-99 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 5 जनवरी, 2007 से निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार अटेर का आदेश दिनांक 9-9-96 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण इस आदेश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में गहन जॉच एंव स्थल निरीक्षण कर उभय पक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर पुनः यथोचित आदेश पारित किया जाय। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी में उठाए गए बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में आये तथ्यों के अवलोकन से स्थिति यह है कि अपर कलेक्टर भिण्ड के प्रकरण कमांक 7/1977-78-237 में पारित आदेश दिनांक 4-3-1987 से वादग्रस्त भूमि काविलकास्त घोषित होने के वाद निम्नानुसार न्यायालयों में भूमि आवन्टन कार्यवाही एंव अपील/निगरानी में प्रचलित रहे हैं :-

(1) तहसीलदार अटेर ने वादग्रस्त भूमि का पटटा आदेश दिनांक 29-6-87 से नारायण सिंह वगैरह को प्रदान किया।

(2) इस आदेश की अनुविभागीय अधिकारी अटेर के यहॉ अपील होने पर आदेश दिनांक 6-12-90 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार को नियमानुसार कार्यवाही कर पुर्नवन्टन के आदेश दिये गये।

(3) आदेश दि. 6.12.90 के विरूद्व अपर आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना के यहॉ निगरानी होने पर आदेश दिनांक 22-5-95 से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत् रखा गया।

तहसील न्यायालय में भूमि बन्टन की कार्यवाही प्रारंभ हुई एंव प्रकरण कमांक 541 अ-19/86-87 में पारित आदेश दि. 9.9.96 से आवेदकगण के नाम पुनः व्यवस्थापित कर दी गई, जिसके विरूद्व अपील होने पर अनुविभागीय अधिकारी अटेर ने प्रकरण कमांक 17/95-96 में पारित आदेश दिनांक 27-2-1997 से अपील इसलिये अग्राह्य कर दी कि भूमि का व्यवस्थापन म.प्र.दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना(विशेष) उपबन्ध अधिनियम के अंतर्गत है जिसके कारण अपील अग्राह्य है। आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने जब तहसीलदार अटेर के प्रकरण कमांक 541 अ-19/86-87 का परीक्षण किया है कि जब तत्कालीन तहसीलदार ने मूल कार्यवाही राजस्व पुस्तक परिपत्र की कंडिका चार-3 के प्रावधानों के अंतर्गत करते हुये आदेश दिनांक 29-6-87 से वादग्रस्त भूमि के बन्टन की प्रकिया अपनाई है, तहसीलदार अटेर ने प्रकरण कमांक 541 अ-19/86-87 में म.प्र. दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष) उपबन्ध अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही कर आदेश दिनांक

9-9-96 पारित करके भूमि व्यवस्थापित करने में भूल की है जिसके कारण आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना व्दारा आदेश दिनांक 5 जनवरी, 2007 पारित करके तहसीलदार का आदेश दिनांक 9-9-96 निरस्त करते हुये प्रकरण राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अधीन पुनः स्थल निरीक्षण करने एंव पक्षकारों की पात्रता की जॉच कर कार्यवाही करने हेतु प्रत्यावर्तित करने में त्रृटि नहीं की है जिसके कारण आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना का आदेश दिनांक 05-01-2007 हस्तक्षेप योग्य नहीं है क्योंकि उभय पक्ष को तहसीलदार के समक्ष पक्ष रखने का पूर्ण अवसर प्राप्त है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 93/1998-99 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 5 जनवरी, 2007 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर